न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. मांगीलाल पुत्र श्री विश्वमित्र जाति बिश्नोई निवासी 23 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर
2. सन्तोष पत्नी मांगीलाल जाति बिश्नोई निवासी 23 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.......प्रार्थीगण........

बनाम

1. औम प्रकाश पुत्र श्री परमानन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22 नया श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर
2. बक्शीश कौर पत्नी श्री निर्मल सिंह सन्धु जाति जटसिख निवासी टाउन रोड, रूप मारूति गैरेज के पास, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. बिहारी लाल पुत्र श्री तेजाराम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22 नया श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(मृतक)

1/1. देवी बाई पत्नी श्री बिहारी लाल छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22, दुर्गा सिन्धी मन्दिर के पास, श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

1/2. उमा शंकर पुत्र श्री बिहारी लाल छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22, दुर्गा सिन्धी मन्दिर के पास, श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

1/3 अशोक कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 22, दुर्गा सिन्धी मन्दिर के पास, श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

1/4. कैलाश रानी पुत्री श्री बिहारी लाल छाबड़ा पत्नी श्री राजेन्द्र मिढ्ढा पुत्र श्री मिलखीराम मिढ्ढा जाति अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

1/5. सुदेश रानी पुत्री श्री बिहारी लाल छाबड़ा पत्नी श्री चिमन लाल धूड़िया पुत्र श्री जतूराम धूड़िया जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्री गंगानगर [illegible]

1/6. वीणा रानी पुत्री श्री बिहारी लाल छाबड़ा पत्नी श्री नरेश कुमार मदान पुत्र श्री मिलखी राम मदान जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 3, केसरीसिंहपुर तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)

लगातार............2

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1/7. नीलम रानी पुत्री श्री बिहारी लाल छाबड़ा पत्नी श्री चन्द्रेश आहूजा जाति अरोड़ा निवासी ब्राहम्ण धर्मशाला के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह सन्धु जाति जटसिख निवासी टाउन रोड, रूप मारूति गैरेज के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह सन्धु जाति जटसिख निवासी टाउन रोड, रूप मारूति गैरेज के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व)श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री इकबाल हुसैन कुरैशी वकील प्रार्थी
2.नवीन कुमार मिड्ढ़ा वकील अप्रार्थी संख्या 1, 3/1 ता 1/7
3. राजीव जग्गा वकील अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5
4. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 23/2020 निर्णय दिनांक -22.03.2022

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थीगण चक 23 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के रहने वाले है। तथा प्रार्थीगण चक 11 जोईयावाली का खाता नं. 2 खसरा संख्या 5/4 की कुल 6. 325 है. बारानी मुश्तरका भूमि में 2.277 है.अनकमाण्ड भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में से 1.265 है. अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल व 1.012 है. अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी संख्या 2 सन्तोष की खातेदारी काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण के पास अपनी इस खातेदारी काश्त की भूमि में आने के लिए के लिए कोई रास्ता नही है। इस भूमि के उतर में स्थित चक 13 जी.बी. का मु.नं. 7 प.नं.143/404 की किला नं. 1 ता 25 की भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीगण की भूमि के किला नं. 1 ता 5 के चिपते हुए उतर दिशा में स्थित है। चक 13 जी.बी. का मु.नं. 7 प.नं. 143/404 की किला नं. 1 ता 25 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 औम प्रकाश के पास किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की भूमि है तथा किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 की भूमि बिहारी लाल के पास है तथा बिहारी लाल फौत हो गया है। उसकी खातेदारी काश्तकारी भूमि के अब उसके वारिसान मालिक वा काबिज है। तथा किला नं. 3/1, 8, 13, 18, 23 की भूमि बलविन्द्र सिंह के पास है तथा किला नं. 3/2, 4, 5, 7, 14, 17, 24 की भूमि बक्शीश कौर [illegible] किला नं. 5/2, 6, 15, 16, 25 की भूमि भूपेन्द्र सिंह के पास है। अप्रार्थी संख्या [illegible] ही परिवार के सदस्य है। उक्त मु.नं. 7 प.नं. 143/404 [illegible] 13, 18, 19, 22, 23 [illegible] रास्ता की किला नं. 23 पास अप्रार्थीगण में एक चालू रास्ता स्थित है। [illegible]

लगातार...........3

Priyanka
जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 2, 4, 5 ने बन्द कर रखा है। तथा उक्त चालू रास्ता को मु.नं. 7 प.नं. 143/404 के खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 2 ता 5 ही इस्तेमाल करते है तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ता इस्तेमाल करने से रोकते है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खातेदारी काश्त की भूमि किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में आने के लिए कभी किसी के खेत में से होकर आते है कभी किसी के खेत में से होकर आते है परन्तु जब सभी खेतो में काश्त हो जाती है तो प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि में आने जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। चक 11 जोईयावाली के खाता नं. 2 खसरा नं. 5/4 की भूमि में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 है. प्रार्थी संख्या 1 के पास व किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 में 1.012 है. प्रार्थी संख्या 2 के पास कुल 9-00 बीघा भूमि है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी काश्त की भूमि में आने जाने के लिए चक 13 जी.बी. के मु.नं. 7 प.नं. 143/404 में से रास्ता दिलवाया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण उक्त मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 2, 3/1 व 3/2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 में स्थित रास्ता (मौका पर चालू रास्ता) से होकर अपने खातेदारी काश्त की भूमि खाता नं. 2 खसरा नं. 5/4 के किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 की भूमि में आ सकते है तथा प्रार्थीगण को यदि रास्ता मु.नं. 7 प.नं. 143/404 में स्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अन्य कहीं से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है तथा चक 13 जी.बी. के मु.नं. 7 प. नं. 143/404 के उत्तर में पक्की सड़क अनूपगढ़ से श्री विजयनगर व विजयनगर से आगे 5 की पुली होते हुए सूरतगढ़ की ओर जाने वाली सड़क स्थित है। तथा प्रार्थीगण का रकबा उक्त मुरब्बा नं. 7 प.नं. 143/404 के दक्षिण में है। खाता नं. 2 खसरा नं. 5/4 की भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण को अगर मु.नं. 7 प.नं. 143/404 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी काश्त की भूमि में आने जाने के लिए हर तरह की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त रास्ता स्वीकृत करने की एवज में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी काश्त की भूमि में से भूमि की जगह भूमि या डी.एल.सी. रेट अनुसार राशि अदा करने को तैयार हैं। चक 13 जी.बी. के मु.नं. 7 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 के परिवार की ही चक 11 जोईयावाली में स्थित मुश्तरका खाता नं. 2 खसरा नं. 5/4 की 6.325 है. बारानी भूमि में 4038/6325 हिस्सा यानि 4.038 है. भूमि मुश्तरका खाते में है। यदि उक्त 13 जी.बी. के मु.नं. 7 में से प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 को भी चक 11 जोईयावाली के खाता नं. 2 खसरा नं. 5/4 की भूमि में आने जाने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। आदि का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया प्रार्थीगण को चक 13 जी.बी. के मु.नं. 7 प.नं. 143/404 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 में रास्ता स्वीकृत किया जावे यदि कानूनी तकनीकी कमी के कारण उक्त किलों में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता ... प्रार्थीगण को उक्त मुरब्बा नं. 7 प.नं. 143/404 के किला नं. ... प्रार्थीगण का रकबा चक 11 जोईयावाली के खाता नं. 2 खसरा नं. 5/4 ... 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में आने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। ताकि प्रार्थीगण अपने खातेदारी काश्त की भूमि चक 11 जोईयावाली के ... नं. 2 खसरा नं. 5/4 के किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में आ-जा सके। जिसके लिए

लगातार............4

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Priyanka
जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण को उनकी भूमि मे से स्वीकृत रास्ता के बदले भूमि की डी.एल.सी. रेट से राशि या भूमि के बदले भूमि देने के लिए प्रार्थीगण तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसी दौरान अप्रार्थी संख्या 3 बिहारी लाल का देहान्त हो गया। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर मृतक बिहारी लाल के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सी.पी.सी. मृतक बिहारी लाल के वारिसान को अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर संशोधित वाद शीर्षक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व मृतक बिहारी लाल के वारिसान 1/1 ता 1/7 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के चक 13 जी.बी. में स्थित रकबा मु.नं. 7 प.नं. 143/404 के किलाजात की भूमि के साथ उत्तर दिशा में चिपती हुई को राज्य सरकार द्वारा घग्घर नदी (नाली) बहाव क्षेत्र हेतु घोषित कर रखी है और उसके उपरान्त प्रार्थीगण का चक 11 जोईयावाली का उक्त वर्णित रकबा आता है यानी की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के रकबा के मध्य की भूमि घग्घर नदी (नाली) बहाव क्षेत्र है और इस नाली के बहाव क्षेत्र की भूमि का लेवल भी प्रार्थीगण वा अप्रार्थीगण की भूमि के लेवल से करीब 7-8 फुट से भी ज्यादा गहराई में है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की भूमि से एक नया रास्ता कायम करना न्यायोचित नहीं है और ना ही प्रार्थीगण की 11 जोईयावाली में स्थित भूमि हेतु अप्रार्थीगण की चक 13 जी.बी. में स्थित भूमि में से आगे घग्घर बहाव क्षेत्र की भूमि में से कतई कोई नया रास्ता विधिक रूप से कायम किया जाना न्यायोचित नहीं है और ना ही प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता लेने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण के द्वारा नाहक तंग परेशान करने की गर्ज से मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में वेग तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो काविले निरस्ती के है। अप्रार्थीगण के उक्त रकबा के किलाजात नम्बर 2, 3/1, 3/2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 में कोई चालू रास्ता हो और उक्त रास्ता को किला नं. 23 के पास अप्रार्थीगण के द्वारा बन्द कर रखा हो जब किसी भी प्रकार का कोई मौका पर चालू रास्ता अप्रार्थीगण के रकबा में है ही नहीं तो प्रार्थना पत्र की इस मद के समस्त तथ्य स्वतः ही झूठे वा निराधार हो जाते है। प्रार्थीगण के द्वारा इस मद की रचना केवल मात्र अपने प्रार्थना पत्र को रंग देने के उद्देश्य से की गई है। यहां यह अंकित कर देना भी उचित होगा कि - जब अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मुरब्बाजात के मध्य घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र स्थित है और घग्घर बहाव क्षेत्र के कारण दोनों मुरब्बाजात के मध्य की भूमि का लेवल करीब 7-8 फुट से भी ज्यादा गहराई में है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के मुरब्बाजात [illegible] द्वारा अपने मुरब्बाजात की भूमि में आने-जाने वा फसल परिवहन करने का [illegible] ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में [illegible] करवाये गये है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। यहां [illegible] उचित होगा कि प्रार्थीगण के उपरोक्त मुरब्बाजात के साथ चिपते हुए चक 18 [illegible]. के प.नं. 143/406 के

लगातार.........5

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:36 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
नगर

Scanned with CamScanner

मुरब्बाजात की भूमि के किलाजात संख्या 21 ता 25 में से प्रार्थीगण के निवास स्थल वाके गांव चक 23 एस.डी. से आने वाली पक्की सड़क गुजरती है जो केवल मात्र प्रार्थीगण के रकबा से करीब 5 बीघा दूरी पर स्थित है इसलिए प्रार्थीगण को अपने मुरब्बाजात हेतु आने जाने के लिए रास्ता हेतु अपने साथ चिपते चक 18 एस.डी. के उक्त मुरब्बाजात संख्या 143/406 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जो कि अप्रार्थीगण के रकबा से आने जाने वा कृषि उपज वा उपकरण को अपने घर चक 23 एस.डी. में परिवहन करने के लिए सुगम-सरल एवं संक्षिप्त रास्ता होगा जो आगे चक 23 एस.डी. की पक्की सड़क से जाकर मिल जावेगा। यहां यह भी अंकित कर देना उचित होगा कि प्रार्थीगण अपने मुरब्बाजात की भूमि में इसी उक्त रास्ता से यानि कि प्रार्थीगण अपने मुरब्बाजात की भूमि से चिपते हुए चक 18 एस.डी.के उपरोक्त मुरब्बाजात की भूमि में से होते हुए चक 23 एस.डी. की पक्की सड़क से आना जाना करते आ रहे है और इसी चक 18 एस.डी. के उपरोक्त वर्णित रकबा में से ही प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने के विधिक अधिकारी है न कि अप्रार्थीगण के रकबा में से रास्ता मांगने के। प्रार्थीगण क्लीनहैण्ड से उपस्थित नहीं हुए और इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रार्थीगण के द्वारा अपने मौजूदा प्रार्थना पत्र में छिपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर अप्रार्थीगण के रकबा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन है और घग्घर नदी क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग को प्रार्थीगण के द्वारा पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जो कि इस प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र नॉन ज्योईन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रस्त होने के कारण नाकाबिले चलने के है। अप्रार्थी संख्या 6 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 जोईयावाली के खसरा नं. 5/4 में 6.325 है. रकबा कान्ता पत्नी मनीराम जाति जाट, निर्मल सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख, मांगीलाल पुत्र विश्वामित्र, सन्तोष पत्नी मांगीलाल जाति बिश्नोई के नाम से खातेदार दर्ज है। उक्त खसरा किसी भी रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा तक पहुंचने के लिए चक 13 जी.बी. के 143/404 के किला नं. 2 व 3, 8 व 9, 12 व 13, 18 व 19, 22 व 23 के मध्य सीमा से रास्ता चाहा गया है। मौके पर चाहे गये रास्ते में किला नं. 2 व 3, 8 व 9, 12 व 13 में रास्ता चल रहा है। उक्त खसरा नं. 5/4 के उत्तर दिशा में घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र (नदी का पेटा) है जिसकी चौडाई लगभग आधा बीघा है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र का ही रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता है। रास्ते की परम आवश्यकता है। जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रकरण दर्ज होने से पूर्व घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र का उपयोग रास्ते के रूप में किया जा[illegible]त तक पहुंचने के लिए सभी संभव रास्ते को नजरी नक्शा [illegible] रास्ता ही निकटतम रास्ता है। न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता [illegible] है। लघुतम रास्ते को स्वीकृत करने पर नुकसान की सम्भावना नहीं है। नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट संलग्न है। जोत तक पहुंचना का सम्पूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि से होकर जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:36 IST
Reason: SelfAttested

लगातार...........6

Scanned with CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं उभय पक्ष पर मनन करने पर पाया कि चक 13 जी.बी. में स्थित रकबा मु.नं. 7 प. नं. 143/404 के किलाजात की भूमि के साथ उतर दिशा में चिपती हुई को राज्य सरकार द्वारा घग्घर नदी (नाली) बहाव क्षेत्र हेतु घोषित कर रखी है और उसके उपरान्त प्रार्थीगण का चक 11 जोईयावाली का उक्त वर्णित रकबा आता है यानी की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के रकबा के मध्य की भूमि घग्घर नदी (नाली) का बहाव क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की भूमि से एक नया रास्ता कायम करना न्यायोचित नहीं है और ना ही प्रार्थीगण की 11 जोईयावाली में स्थित भूमि हेतु अप्रार्थीगण की चक 13 जी.बी. में स्थित भूमि से आगे घग्घर बहाव क्षेत्र की भूमि में से विधिक रूप से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ना ही ऐसा कोई रास्ता स्वीकृत किया जाना व्यवहारिक है एवं प्रार्थीगण के द्वारा घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चूंकि नदी का बहाव क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन है और घग्घर नदी क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग को प्रार्थीगण के द्वारा इस मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नॉन ज्योईन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रस्त होने कारण भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner